

मुख्यमंत्री ने अमित शाह से मुलाकात की

भजनलाल ने उन्हें राजस्थान की योजनाओं और विकास परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी दी

नई दिल्ली/जयपुर, 06 अगस्ता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में डबल इंजन की सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं एवं विकास परियोजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने केन्द्रीय गृह मंत्री का यमुना जल समझौते के लिए आभार भी प्रकट किया। इस दौरान राजस्थान में सहकारिता क्षेत्र के सशक्तिकरण, सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास एवं सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने को लेकर चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया से मुलाकात कर प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने, युवाओं को कौशल विकास एवं रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने संबंधी विषयों पर बातचीत की।

उन्होंने इसके बाद केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू से भी शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की।

आरक्षण विरोधी ऑनलाइन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) दुबे ही शिक्षा, नौकरियों तथा अन्य क्षेत्रों में जाति-आधारित आरक्षण के खिलाफ लोगों को संगठित करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं।

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, टिप्पणीकार और सार्वजनिक बुद्धिजीवी भी आरक्षण के मुद्दे पर बदे हुए हैं। कुछ वर्तमान व्यवस्था के पक्ष में हैं, कुछ इसे पूरी तरह समाप्त करने की मांग कर रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि आरक्षण केवल अधिक सख्त पात्रता मानदंडों के साथ ही जारी रहना चाहिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों स्तरों पर आरक्षण विरोधी आवाजें लगातार उठे होती जा रही हैं। यह रझान भारत में जाति-आधारित आरक्षण को लेकर पहले से ही बेहद संवेदनशील और विभाजनकारी बहस को और

अधिक तीखा बना सकता है। ऐसे समय में इसका उभार कई पक्षों के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है। आरक्षण विरोधी अभियान ऐसे समय में तेज हुआ है, जब कुछ ही सप्ताह पहले सीजेपी के नेतृत्व में चले लंबे आंदोलन का समापन केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे के साथ हुआ था। इसके बाद यूजीसी के समानता संबंधी नियमों को लेकर देशभर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए।

सर्वण समुदाय के लोगों ने इन नियमों को “अनुचित”, “अन्यायपूर्ण”, “योग्यता के सिद्धांत को कमजोर करने वाला” और “सर्वण वर्ग को अनुचित रूप से निशाना बनाकर सामाजिक विभाजन को और गहरा करने वाला” बताया। इसी वर्ष फरवरी में सर्वण समुदाय ने इन नियमों को "काला

कानून" करार दिया था।

ये घटनाक्रम केन्द्र और राज्यों की सरकारों के साथ-साथ, सत्ता में मौजूद राजनीतिक दलों के लिए भी नई चुनौतियाँ पैदा कर सकते हैं।

देश में चुनावों का व्यस्त दौर सामने है। वर्ष 2027 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी चुनाव होंगे।

इनमें से कई राज्यों, विशेषकर देश के सबसे बड़े और राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में, जाति अब भी चुनावी राजनीति का सबसे निर्णायक कारक मानी जाती है। अक्सर कहा जाता है कि नई दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है।

फ्रांस ने राफेल विमान भारत में बनाने का प्रस्ताव भेजा

नई दिल्ली, 06 अगस्ता। भारतीय वायुसेना की ताकत में अब तक का सबसे बड़ा इजाफा होने जा रहा है। फ्रांस ने 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए भारत को अपना विस्तृत तकनीकी और व्यावसायिक प्रस्ताव तदनीकी और खासियत भारत में ही बड़े पैमाने पर इन लड़ाकू विमानों का निर्माण करना है। फिलहाल रक्षा मंत्रालय का अधिग्रहण विंग और भारतीय वायुसेना फ्रांसीसी रक्षा का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं।

■ भारत द्वारा 114 राफेल लड़ाकू विमान की खरीद में फ्रांस को 94 राफेल जेट का निर्माण भारत में करना होगा।

इस डील की सबसे मजबूत कड़ी भारत की आत्मनिर्भरता है। फ्रांस को 114 में से 94 राफेल जेट भारत में ही तैयार करने होंगे। इसके लिए फ्रांसीसी कंपनी डर्सांटे एंविएशन भारतीय औद्योगिक साझेदारों के साथ हाथ मिलाएगी। इस पूरे

प्रोजेक्ट में फ्रांस की शीर्ष रक्षा कंपनियों, मिसाइल निर्माता एमबीडीए, इंजन निर्माता सफरान और इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज थेल्स मिलकर काम करेंगी। भारत की घरेलू कंपनियों के लिए करीब 1.6 लाख करोड़ रुपये के नए व्यावसायिक अवसर पैदा होंगे।

टाटा और लारसन एंड टुब्रो जैसी प्रमुख भारतीय कंपनियाँ इस उत्पादन प्रक्रिया में मुख्य भागीदार बनेंगी। भारतीय वायुसेना विमानों में अपनी स्वदेशी अस्त्र तयारी-टू-एयर मिसाइल और भारतीय एलनोयक को एकीकृत करने पर जोर दे रही है।

होर्मुज को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) 5 से 7 प्रतिशत शुल्क लेने की बात कर रहा है, वहीं ओमान ने अधिक सावधानी बरतते हुए 3 प्रतिशत शुल्क का प्रस्ताव रखा है। साथ ही, ईरान ने चेतावनी दी है कि जलडमरूमध्य को दोबारा खोलना मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका अपनी नाकाबंदी को किस तरह जारी रखता है। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरूमध्य से ईरानी जहाजों की आवाजाही पर रोक लगा दी थी और खुले समुद्र की ओर जाने की कोशिश करने वाले कई ईरानी जहाजों को वापस लौटा दिया है। इसके अलावा, अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की भी घेराबंदी कर रखी है, जिसका ईरान पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इन नाकाबंदियों और ईरान के तेल व्यापार पर लगे विभिन्न प्रतिबंधों से नाराज़ ईरान ने कहा है कि जब तक अमेरिका अपनी नाकाबंदी और प्रतिबंध नहीं हटाता, तब तक होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की सामान्य आवाजाही संभव नहीं हो सकती। यह बात ईरान के उप विदेश मंत्री ने कही।

अब यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका होर्मुज जलडमरूमध्य से ईरानी जहाजों की आवाजाही पर अपनी सख्ती कितनी कम करता है। अमेरिका द्वारा ईरानी जहाजों की घेराबंदी के जवाब में, ईरान ने उन जहाजों पर हमला किया है, जो ईरान की पूर्व अनुमति के बिना इन जल क्षेत्रों से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच, आज अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही पर लगी सभी पाबंदियाँ ईरान बिना किसी शर्त के तुरंत नहीं हटाता, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ईरान अब इसके नतीजों का ईंतजार कर रहा है।

पांचना बाँध ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) आदेश के बाद भी नहरों में पानी क्यों नहीं छोड़ा जा रहा। सुनवाई के दौरान, अदालती आदेश की पालना के लिए राज्य सरकार ने 15 दिन का समय मांगा था। जिस पर अदालत ने राज्य सरकार को समय देते हुए कहा कि यदि नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया तो जिला कलेक्टर और संबंधित अधिकारी पेश हों। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने आदेश की पालना में शपथ पत्र पेश कर दिया।

पूर्व संपादक तरुण

तेजपाल को दुष्कर्म

मामले में 10 साल की सजा

पणजी, 06 अगस्ता। बंबई उच्च न्यायालय की गोवा खंडपीठ ने गुरुवार को “तहलका” पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराते हुए 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उन्हें चार सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। जस्टिस डॉ. नीला गोखले और जस्टिस

■ बंबई हाईकोर्ट की गोवा खंडपीठ ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में यह फैसला सुनाया।

अमित जामसांडेकर की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया। इससे पहले डिवीजन बेंच ने उत्तर गोवा जिले के सत्र न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया था। सत्र न्यायालय ने मई 2021 में पर्याप्त सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए तेजपाल को बरी कर दिया था। इस फैसले को गोवा सरकार ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। यह मामला नवंबर 2013 का है। तहलका की एक महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था कि गोवा में आयोजित ‘थिंक फेस्ट’ कार्यक्रम के दौरान, 7 एवं 8 नवंबर की रात होटल की लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने उसके साथ दो बार यौन उत्पीड़न किया था।

‘क्रीमीलेयर का सिद्धांत एससी-एसटी आरक्षण में लागू नहीं हो सकता’

केन्द्र सरकार ने जनहित याचिकाओं के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया

नई दिल्ली, 06 अगस्ता। केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के आरक्षण पर क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू नहीं होता।

सरकार ने एससी-एसटी आरक्षण

में क्रीमी लेयर लागू करने और सरकारी नौकरियों में अधिक समान वितरण के लिए नई आरक्षण नीति बनाने की मांग वाली जनहित याचिकाओं का विरोध किया है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने यह हलफनामा दाखिल किया है। इसमें कहा गया कि संविधान

■ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में पेश हलफनामे में कहा कि संविधान पीठ के अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ फैसले में स्पष्ट किया गया है कि क्रीमीलेयर का सिद्धांत केवल ओबीसी/एसईबीसी के संदर्भ में लागू है।

पीठ के अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ फैसले में स्पष्ट किया गया था कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत सिर्फ अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)/सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) के संदर्भ में लागू है, न कि एससी और एसटी पर।

केन्द्र ने कहा कि आय आधारित प्राथमिकता या आरक्षण नीति में किसी भी बदलाव से पहले व्यापक समीक्षा

और सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों पर आधारित गहन अध्ययन आवश्यक है।

साथ ही, अदालत कार्यपालिका को किसी विशेष तरीके से नीति बनाने का निर्देश नहीं दे सकती, क्योंकि यह

सुप्रीम कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एमएस सुंदरशर और जस्टिस ए.पी. वराले की पीठ ने इसे एग्जामिन भी किया। डाक्टर्स ने यह भी मेसज किया है कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए 24 घंटे मेडिकल निगरानी में रखना जरूरी है।

आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में बेल और परमानेंट पौरोल की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को 24 घंटे के लिए अपनी पसंद का एक प्रशिक्षित केयर गिवर रखने की परमिशन दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी छूट दी है कि तबीयत बिगड़ने पर वे दोबारा अंतरिम जमानत के लिए कोर्ट में अपील कर सकते हैं।

केन्द्र सरकार ने नीट पेपर लीक रोकने के लिये सुप्रीम कोर्ट में प्लान पेश किया

सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं से जवाब देने को कहा, मामले की सुनवाई 19 अगस्त को होगी

नई दिल्ली, 06 अगस्ता। केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि नीट पेपर लीक रोकने के लिए प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर अनुवाद, प्रिंटिंग और सेंटरों पर पहुंचाने की तक की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। प्रश्नपत्र तैयार करने या अनुवाद के वक्त न तो इंटरनेट की सुविधा दी जाती है और न ही फोन या किसी और तरह का गैजट रखने की इजाजत होती है।

जरूरत से पांच गुना ज्यादा प्रश्न तैयार किये जाते हैं और किसी को भी पूरा प्रश्नपत्र मालूम नहीं होता। ये सारी बातें केन्द्र सरकार ने नीट पेपर लीक रोकने के लिएकिये गए उपायों का ब्योरा देने वाले अपने ताजा हलफनामे में कही है। यह भी कहा गया है कि नीट यूजी परीक्षा को पेन एंड पेपर मोड से हटा कर जईई मेन्स और एडवांस की परीक्षा की तरह कंप्यूटर आधारित मोड में बदलने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को याचिकाकर्ताओं को केन्द्र के इस हलफनामे का जवाब दाखिल करने के लिए समय देते हुए सुनवाई 19 अगस्त तक टाल दी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ को सुनवाई के दौरान बताया गया कि केन्द्र

जयपुर में व्यावसायिक क्षेत्रों में चल रहे कोचिंग संस्थानों पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताई

शीर्ष अदालत ने जेडीए को निर्देश दिये हैं कि 3 सप्ताह में कोचिंग संस्थानों के संचालन और उनके स्थानांतरण से जुड़े सुधारात्मक कदमों की पूरी जानकारी कोर्ट में पेश करे

■ गोपालपुरा बाईपास पर संचालित कोचिंग संस्थानों को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता आर.डी. रस्तोगी और उनके सहायक अधिवक्ता सार्थक रस्तोगी द्वारा पेश आवेदन को भी अदालत ने इस मामले से जोड़ा है।

प्राधिकरण (जेडीए) को निर्देश दिया कि वह 3 सप्ताह में कोचिंग संस्थानों के संचालन और उनके स्थानांतरण से जुड़े सुधारात्मक कदमों की पूरी जानकारी कोर्ट में पेश करे। अदालत ने जयपुर के मास्टर प्लान के उल्लंघन, निर्धारित उपयोग वाली जमीन के दूसरे कार्यों में इस्तेमाल और जेडीए को समर्पित भूमि पर अतिक्रमण के आरोपों को गंभीर बताते हुए इन्हें ‘चौकाने वाला’ और ‘गंभीर’ बताया। साथ ही जेडीए से जुड़ी अपीलों के लंबे समय से लंबित रहने पर भी नाराजगी जताई और अपीलीय प्राधिकरण को ऐसे मामलों का 2 सप्ताह में निपटारा करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई जेडीए की ओर से सुधारात्मक कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद होगी। कोर्ट पहले

ही 25 मार्च 2026 के आदेश में मामले का दायरा देशभर तक बढ़ाते हुए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पक्षकार बनाने के निर्देश दे चुका है।

कई नामचीन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) वकार चौधरी और सड़क परिवहन प्राधिकरण से सेवानिवृत्त विक्रांत गौतम भी शामिल हैं। कांग्रेस में शामिल होने वाले अन्य नेताओं में पूर्व पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के कोषाध्यक्ष किशन स्वरूप, आर. के. मेसी, राजेन्द्र प्रसाद विशास, अमित कुमार, राष्ट्रीय लोक दल की राष्ट्रीय सचिव सावित्री गौतम तथा मेरठ के अरुण बंसवाल शामिल हैं।

‘क्रीमीलेयर का सिद्धांत एससी-एसटी आरक्षण में लागू नहीं हो सकता’

केन्द्र सरकार ने जनहित याचिकाओं के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया

■ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में पेश हलफनामे में कहा कि संविधान पीठ के अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ फैसले में स्पष्ट किया गया है कि क्रीमीलेयर का सिद्धांत केवल ओबीसी/एसईबीसी के संदर्भ में लागू है।

पीठ के अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ फैसले में स्पष्ट किया गया था कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत सिर्फ अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)/सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) के संदर्भ में लागू है, न कि एससी और एसटी पर।

केन्द्र ने कहा कि आय आधारित प्राथमिकता या आरक्षण नीति में किसी भी बदलाव से पहले व्यापक समीक्षा और सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों पर आधारित गहन अध्ययन आवश्यक है। साथ ही, अदालत कार्यपालिका को किसी विशेष तरीके से नीति बनाने का निर्देश नहीं दे सकती, क्योंकि यह

एससी और एसटी की सूची में किसी भी जाति या जनजाति को शामिल करने या हटाने का अधिकार केवल संसद को है। राज्य सरकारें, अदालतें या अन्य प्राधिकरण इस सूची में बदलाव नहीं कर सकते।

केन्द्र ने इन सभी याचिकाओं को भ्रामक बताया। सरकार के मुताबिक एससी, एसटी और एसईबीसी के कल्याण से जुड़ी अधिकांश योजनाओं में, सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को छोड़कर, आय आधारित पात्रता (मीन्स टेस्ट) पहले से लागू है, ताकि लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच सके।

अरुणाचल प्रदेश में चार घंटे में भूकंप के 5 झटके

■ ये भूकंप के झटके सियांग जिले में प्रातः 3.40 से 7.17 के बीच महसूस किये गए

इटानगर, 06 अगस्ता। अरुणाचल प्रदेश में गुरुवार सुबह लगभग 3.40 बजे से 7.17 के बीच भूकंप से पांच बार धरती हिली। सबसे अधिक तीव्रता का भूकंप 5.1

तीव्रता का भूकंप उपर सियांग जिले में सुबह 5.45 बजे महसूस किया गया। फिलहाल,

कहीं से किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है।

भारतीय भूकंप विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पहला भूकंप सुबह 03.40 बजे उपर सियांग में 2.8 तीव्रता का महसूस किया गया। भूकंप का केन्द्र जमीन में 5 मीटर नीचे था। भूकंप का एपीक सेंटर 28.940 उत्तरी अक्षांश तथा

94.743 पूर्वी देशांतर पर स्थित था। दूसरा भूकंप सुबह 03.55 बजे उपर सियांग में 3.2 तीव्रता का महसूस किया गया। भूकंप का केन्द्र जमीन में 7 मीटर नीचे था। भूकंप का एपीक सेंटर 28.926 उत्तरी अक्षांश तथा 94.806 पूर्वी देशांतर पर स्थित था। तीसरा भूकंप सुबह 04.34 बजे उपर

सियांग में 2.8 तीव्रता का महसूस किया गया। भूकंप का केन्द्र जमीन में 13 मीटर नीचे था। भूकंप का एपीक सेंटर 28.863 उत्तरी अक्षांश तथा 94.890 पूर्वी देशांतर पर स्थित था।

चौथा भूकंप सुबह 05.45 बजे उपर सियांग में 5.1 तीव्रता का महसूस किया गया। भूकंप का केन्द्र जमीन में 11 मीटर नीचे था। भूकंप का एपीक सेंटर 29.124 उत्तरी अक्षांश तथा 94.856 पूर्वी देशांतर पर स्थित था।

पांचवां भूकंप सुबह 07.17 बजे उपर सियांग में 3.5 तीव्रता का महसूस किया गया। भूकंप का केन्द्र जमीन में 5 मीटर नीचे था।

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, जयपुर कार्यालय: सुधर्म एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, बीकानेर कार्यालय : कुम्हाना हाऊस, इंदुपाना हाथा, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आर्य मैन रोड आर्यड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रियल एरिया, फैस प्रथम, जालौर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 डिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908